दया चौधरी और सुधीर मित्तल , जे. जे. **के सम** क्ष

अपर्णा यादव (छोटे) उदयबीर सिंह के माध्यम से,

अगला दोस्त-याचिकाकर्ता

बनाम

संघ क्षेत्र, चंडीगढ़ और अन्य -

प्रतिवादीगण

**2019** का सीडब्ल्यूपी **No.21151**

26 अगस्त, 2019

भारत का संविधान, **1950**-अनुच्छेद **226** और **227**-एम. बी. बी. एस. में प्रवेश-एन. आर. आई. कोटा-सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, चंडीगढ़ में एम. बी. बी. एस. के लिए याचिकाकर्ता आवेदक-एन. आर. आई. कोटा-इस अदालत के समक्ष रिट के लंबित होने के कारण परामर्श स्थगित कर दिया गया-याचिकाकर्ता ने दूसरे संस्थान में प्रवेश लिया-याचिकाकर्ता का दावा जी. एम. सी. एच., चंडीगढ़ द्वारा खारिज कर दिया गया-मूल प्रमाण पत्र जो परामर्श के समय प्रस्तुत नहीं किए गए थे-निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाना था-मैंडमस जारी नहीं किया गया था।

यह माना गया कि याचिकाकर्ता ने परामर्श के समय मूल प्रमाण पत्र जमा नहीं किए और इसलिए, उसके मामले पर विचार नहीं किया गया क्योंकि यह शर्त विवरण पत्रिका का एक हिस्सा थी।इसके अलावा, प्रवेश मामलों में, निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए।अब प्रवेश को अंतिम रूप दे दिया गया है और एनआरआई कोटे की सभी सीटें भर दी गई हैं।यदि याचिकाकर्ता को प्रवेश की अनुमति दी जाती है, तो प्रतिवादी संख्या 4 को वह सीट खाली करनी होगी जो इस स्तर पर नहीं की जा सकती है और मामले को फिर से नहीं खोला जा सकता है।इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने विवरण पत्रिका में उल्लिखित परामर्श के समय मूल प्रस्तुत करने की शर्त को भी चुनौती नहीं दी है।

(पैरा 7)

सुरेश कुमार यादव, अधिवक्ता,

याचिकाकर्ता के लिए।

अमित मेहता, अधिवक्ता

प्रतिवादीगण संख्या 1,3 और 4 के लिए।

सुभाष आहूजा, अधिवक्ता और एस. के. गोयल, अधिवक्ता

प्रतिवादी संख्या 2 के लिए।



दया चौधरी**,** जे।

(1) याचिकाकर्ता-अपर्णा यादव ने अनिवार्य प्रकृति की एक रिट जारी करने के लिए वर्तमान याचिका दायर करके इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें उत्तरदाताओं को निर्देश दिया गया है कि वे प्रतिवादीगण संख्या 4 को प्रवेश देकर भरी गई सीट के खिलाफ उन्हें एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश दें, जो श्रेणी-II में योग्य एनआरआई उम्मीदवारों की सूची में उनके बगल में थी।

(2) याचिकाकर्ता के मामले के अनुसार, वह एन. ई. ई. टी. (यू. जी.) परीक्षा में अनिवासी भारतीय (एन. आर. आई.) और 99.37 प्रतिशत होने से पूरी तरह से पात्र थी।उन्होंने सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (जीएमसीएच) चंडीगढ़ में एमबीबीएस में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन किया।जी. एम. सी. एच., चंडीगढ़ में एम. बी. बी. एस. में प्रवेश के लिए एन. आर. आई. की परामर्श 04.07.2019 पर आयोजित की जानी थी, लेकिन 2019 के सी. डब्ल्यू. पी. No.17110 और 2019 के सी. डब्ल्यू. पी. No.17026 के लंबित होने के कारण, परामर्श को दिनांक 03.07.2019 के सार्वजनिक नोटिस के माध्यम से स्थगित कर दिया गया था।हालाँकि, जी. एम. सी. एच., चंडीगढ़ में अनिश्चितता के कारण, याचिकाकर्ता ने एम. बी. बी. एस. में पं. बी. डी. शर्मा स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, रोहतक में प्रवेश लिया था। वह एनआरआई की श्रेणी-II में योग्य उम्मीदवारों की सूची में क्रम संख्या 1 पर थीं, जिनके पास दोनों श्रेणियों के योग्य उम्मीदवारों में सबसे अधिक प्रतिशत था।उन्होंने पीजीआईएमएस, रोहतक से अपना प्रवेश वापस नहीं लिया। जी. एम. सी. एच., चंडीगढ़ में श्रेणी-I में 9 योग्य एन. आर. आई. उम्मीदवारों और एन. आर. आई. श्रेणी-II में 10 योग्य एन. आर. आई. उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित की गई।

याचिकाकर्ता को क्रम संख्या 1 पर और प्रतिवादी संख्या 4 को क्रम संख्या 2 पर रखा गया था।मूल दस्तावेज याचिकाकर्ता द्वारा जी. एम. सी. एच., चंडीगढ़ में परामर्श के समय प्रस्तुत नहीं किए गए थे क्योंकि वे पीजीआईएमएस, रोहतक के पास थे।याचिकाकर्ता के दावे को इस आधार पर खारिज कर दिया गया/उस पर विचार नहीं किया गया कि वह परामर्श के समय मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर सकी।

(3) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता को मूल दस्तावेज दिखाने के लिए कुछ समय दिया जाना चाहिए था क्योंकि मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का उद्देश्य केवल दस्तावेजों को सत्यापित करना है।प्रतिवादीगण प्राधिकरण की कार्रवाई न केवल मनमाना और अनुचित है, बल्कि अनुचित भी है।विद्वान वकील यह भी प्रस्तुत करते हैं कि प्रतिवादी अधिकारियों की कार्रवाई जी. एम. सी. एच., चंडीगढ़ सहित सभी मेडिकल कॉलेजों में एम. सी. सी. द्वारा अखिल भारतीय कोटा की सीट भरने में अपनाई जा रही प्रक्रिया के विपरीत है।अंत में, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करने के लिए प्रतिवादी अधिकारियों को एक निर्देश जारी किया जा सकता है जो सीट के खिलाफ एनआरआई कोटे में है, जो प्रतिवादी सं. 4. को दिया गया है।



(4) प्रतिवादीगण संख्या 1,3 और 4 के लिए विद्वान वकील  ने याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वकील द्वारा की गई प्रस्तुतियों का इस आधार पर विरोध किया है कि याचिकाकर्ता परामर्श के समय आवश्यकतानुसार अपने मूल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सकी, जबकि इसका विशेष रूप से केंद्रीकृत प्रवेश विवरण पत्रिका, 2019 के खंड (i) और (ii) में प्रवेश विवरणिका में शीर्षक परामर्श पृष्ठ No.13 के तहत उल्लेख किया गया था। एक विशिष्ट नोट दिया गया था कि उम्मीदवारों को परामर्श के समय सत्यापन के लिए अपने साथ सभी आवश्यक मूल प्रमाण पत्र/दस्तावेज लाने होंगे।विद्वान वकील ने यह भी प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता ने मेडिकल कॉलेज, रोहतक में प्रवेश लिया था और कॉलेज के साथ अपनी फीस का भुगतान भी किया था।उन्हें एक ही समय में दो अलग-अलग स्थानों पर दो सीटों को अवरुद्ध करने का कोई अधिकार नहीं है।प्रवेश समाप्त हो गए हैं और सीटें आवंटित कर दी गई हैं और प्रवेश के चरण को ध्यान में रखते हुए हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है।

(5) पक्षों की ओर से विद्वान वकील की दलीलें सुनीं और हमने फाइल पर उपलब्ध दस्तावेजों का भी अध्ययन किया है।

(6) याचिकाकर्ता इस आधार पर प्रवेश नहीं देने में प्रतिवादी अधिकारियों की कार्रवाई से व्यथित है कि वह परामर्श के समय मूल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सकी।"परामर्श" शीर्षक के विपरीत, खंड (i) और (ii) के रूप में एक महत्वपूर्ण टिप्पणी दी गई है, जिन्हें निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया हैः-

"i) उम्मीदवार को परामर्श के समय सत्यापन के लिए अपने साथ सभी आवश्यक मूल प्रमाण पत्र/दस्तावेज लाने चाहिए।

(ii) एम. बी. बी. एस./बी. डी. एस./बी. एच. एम. एस. पाठ्यक्रम में किसी उम्मीदवार को प्रवेश देने के लिए प्रमाण पत्रों या इसी तरह के अन्य दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियों पर विचार नहीं किया जाएगा।"

(7) विवरण पत्रिका में दिए गए नोट के अवलोकन से पता चलता है कि उम्मीदवारों को परामर्श के समय सत्यापन के लिए अपने साथ मूल प्रमाण पत्र/दस्तावेज लाने की आवश्यकता थी।यह भी उल्लेख किया गया है कि एमबीबीएस/बीडीएस/बीएचएमएस पाठ्यक्रम में किसी उम्मीदवार को प्रवेश देने के लिए प्रमाण पत्रों या उनके समान दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियों पर विचार नहीं किया जाएगा।याचिकाकर्ता ने परामर्श के समय मूल प्रमाण पत्र जमा नहीं किए और इसलिए, उसके मामले पर विचार नहीं किया गया क्योंकि यह शर्त विवरण पत्रिका का एक हिस्सा थी।इसके अलावा, प्रवेश मामलों में, निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए।अब प्रवेश को अंतिम रूप दे दिया गया है और एनआरआई कोटे की सभी सीटें भर दी गई हैं।

यदि याचिकाकर्ता को प्रवेश की अनुमति दी जाती है, तो

उदयबीर सिंह बनाम यू. टी. के माध्यम से अपर्णा यादव (एम. आई. एन. ओ. आर.)

चंडीगढ़ और अन्य (दया चौधरी, जे.) 509

प्रतिवादी संख्या 4 को वह सीट खाली करनी होगी जो इस स्तर पर नहीं की जा सकती है और मामले को फिर से नहीं खोला जा सकता है।इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने विवरण पत्रिका में उल्लिखित परामर्श के समय मूल दस्तावेजों को पेश करने की शर्त को भी चुनौती नहीं दी है।

(8) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कई निर्णयों में यह देखा गया है कि विवरण पत्रिका पवित्र है और इसमें कानून की शक्ति है जिसका सख्ती से पालन किया जाना आवश्यक है।

संबंधित अधिकारियों को विवरण पत्रिका के नियमों और शर्तों का पालन और पालन करना चाहिए।

(9) तदनुसार, हम याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वकील द्वारा की गई प्रस्तुतियों में कोई सार नहीं पाते हैं और इस तरह, याचिका, किसी भी योग्यता से रहित होने के कारण, इसके द्वारा खारिज कर दी जाती है।

शुभरीत कौर

अस्वीकरण – सथानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सिमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है!  सभी व्यावहारिक एंड अधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा!

Suman

अस्वीकरण – सथानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सिमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है!  सभी व्यावहारिक एंड अधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा!

Suman